तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06.2023	पत्रावली बमुकाम कैम्प खाखरलाई पेश हुई। वादी एवं उनके वकील में से कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी तहसीलदार सिवाना उपस्थित। तहसीलदार सिवाना द्वारा वाद की विषयवस्तु के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई। हमने प्रतिवादी तहसीलदार सिवाना को सुना एवं मजमे आम में उपस्थित ग्रमीणों से वाद की विषयवस्तु के संबंध में पूछताछ की। वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 174, 175, 201 व 202 कुल रकबा 3.3639 हैक्टेयर ग्राम खाखरलाई तहसील सिवाना में अवस्थित है। खसरा संख्या 175 के उत्तरपूर्वी कोने से खसरा संख्या 202 की उत्तरी सीमा से होते हुए खसरा संख्या 176 गैरमुमकिन रास्ता वक्त बन्दोबस्त से चल रहा है। वादी का कथन है कि चूंकि लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीमसुदा स्थान के बजाय यह रास्ता मौके पर वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 174 व 175 के उत्तरी सेढे पर चल रहा है। अतः वादी ने वाद के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा में बरंग आसमानी से दरसाये स्थान पर कटाण रास्ते की तरमीम करवाने की मांग की है। तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त रास्ता, जिसकी तरमीम परिवर्तित करने की वादी ने इस्तदुआ चाही है, वक्त बन्दोबस्त वर्तमान तरमीमसुदा स्थान पर चल रहा है, जो वादीगण के खेतों के मध्य से ही नहीं उनके दांये बांये के कई खसरों में से चल रहा है, जिसका रकबा 0.6830 हैक्टेयर है। वादी ने अपने वादपत्र में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर वक्त बन्दोबस्त से चल रहे रास्ते की तरमीम परिवर्तित करने का कोई औचित्य प्रतीत होता है। मात्र वादी के चारों खसरों को एक ही चक का रूप देने के लिए तरमीम परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। तहसीलदार सिवाना को आदेश दिये जाते है कि वादी द्वारा कदीमी रूप से चल रहे रास्ते को अवरूद्ध किया गया हो, तो उसके विरूद्ध धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही कर एवं वादी को बेदखल कर जन साधारण के आवागमन के लिए अतिक्रमण मुक्त करवाया जावे। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा चाही गई इस्तदुआ न तो धारा 88 आरटी एक्ट के प्रावधानों में स्वीकार्य है और न ही उसकी सुविधा के लिए कदीमी रूप से चल रहे रास्ते की तरमीम परिवर्तित किये जाने का कोई औचित्य हो। तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट से भी [illegible] होने की पुष्टि होती है। लिहाजा वादी का वाद [illegible] किया जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा [illegible] निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Bishnoi Date: 2023.07.19 10:56:58 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	